त्वरित डाक / दे.पा.पं.डा. / **SPEED POST / R.P.A.D**

दूरभाष /Telephone : 044-28331011
फेक्स /Fax : 044-28331113
ई मेल / Email: ccaestt-prcco@gov.in

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय/ MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग/ DEPARTMENT OF REVENUE

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, चेन्नई अंचल

OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF GST & CENTRAL EXCISE, CHENNAI ZONE

तमिलनाडु एवं पुदुच्चेरी / **TAMILNADU & PUDUCHERRY**

26/1, महात्मा गांधी मार्ग, नुंगम्बाक्कम, चेन्नई - **600 034**

26/1, Mahatma Gandhi Road, Nungambakkam, Chennai 600 034

सी.सं/. C.No.II/31/03/2021-सं.नि.प्रा-.स्था/. CCA.Estt. दिनांक/Date : 22.10.2021

नियुक्ति प्रस्ताव / OFFER OF APPOINTMENT

विषय : आशुलिपिक परीक्षा, 2018 के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए संस्तुत आशुलिपिक - I एवं आशुलिपिक - II का नियतन ।

Sub: Allocation of Steno – I & Steno – II recommended for appointment by SSC on the basis of result of Stenographer Examination, 2018 – Reg.

*****

आशुलिपिक परीक्षा, 2018 के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रायोजित तथा बोर्ड के दिनांक 18.08.2021 के पत्र एफ. सं. ए-12034/क.च.आ./08/2018/ए.डी. III (बी) द्वारा आशुलिपिक - I एवं आशुलिपिक - II के पद पर माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तमिल नाडु एवं पुदुच्चेरी अंचल के लिए नियतित निम्नलिखित अभ्यार्थियों को प्रारंभिक वेतन रु. 35,400/- (7वें वेतन आयोग के वेतन मेट्रिक्स में स्तर 6, इंडेक्स 1) के साथ समय-समय पर स्वीकार्य भत्ते में आशुलिपिक - I (माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के पद के लिए एवं प्रारंभिक वेतन रु. 25,500/- (7वें वेतन आयोग के वेतन मेट्रिक्स में स्तर 4, इंडेक्स 1) के साथ समय-समय पर स्वीकार्य भत्ते में आशुलिपिक - II (माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है और निम्नलिखित चेन्नई सेवर्ग नियंत्रण अंचल के माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्तलायों में नीचे दर्शाए गए अनुसार नामित / तैनात किया जाता है ।

The following candidates, sponsored by the Staff Selection Commission, on the basis of the Stenographer Examination, 2018 and allocated to the Tamil Nadu and Puducherry GST Zone for the post of Stenographer Grade I & II of GST & Central Excise vide Board's letter F.No.A-12034/SSC/08/2018-Ad.IIIB dated 18.08.2021 are offered appointment to the post of Stenographer Grade I (GST & Central Excise) in the Entry Pay of Rs. 35,400 /- (Index 1, Level 6 in Pay Matrix of 7th Pay Commission) and Stenographer Grade II (GST & Central Excise) in the Entry Pay of Rs.25,500 /- (Index 1,Level 4 in Pay Matrix of 7th Pay Commission) plus allowances admissible from time to time and are nominated / posted to the following Commmissionerates in GST & Central Excise of Chennai Cadre Control Zone as indicated below:-

आशुलिपिक ग्रेड - I / **STENOGRAPHER GRADE-I**				
क्रम. सं. **SL. NO.**	रैंक सं. **RANK NO**	नाम सर्व श्री / श्रीमती / कु **NAME S/SHRI/SMT/KUMARI**	श्रेणी **CAT**	तैनाती / **POSTED TO**
1	69	SHRUTHI SRINIVASAN	UR	PR.CCO, CHENNAI
2	345	VIPUL KUMAR	OBC	CHENNAI NORTH
3	351	ATUL KUMAR PATEL	OBC	CHENNAI SOUTH
4	354	SAKSHI SUMAN	OBC	CHENNAI OUTER
5	357	SHANKAR LAL KUMAWAT	OBC	PUDUCHERRY

6	358	RANJEET SAINI	OBC	TRICHY CC(P)
7	381	JALAJ KUMAR	OBC	COIMBATORE GST
8	386	MOHAMMAD AIJAZ	OBC	TRICHY CC(P)
9	410	ROHIT	SC	COIMBATORE AUDIT
10	413	ANKIT KUMAR	SC	CHENNAI AUDIT-II
11	414	HITESH	SC	SALEM
12	418	YOGYATA	SC	CHENNAI AUDIT-I
13	419	VARSHA	SC	CHENNAI OUTER
14	422	KUNAL	SC	COIMBATORE APPEALS
15	460	ANJALI KINDO	ST	CHENNAI APPEALS -I
16	462	RAJ KUMAR MEENA	ST	TRICHY GST

आशुलिपिक ग्रेड – II / STENOGRAPHER GRADE-II

क्रम. सं. SL. No.	रैंक सं Rank No.	नाम सर्व श्री / श्रीमती Name S/Shri/Smt.	श्रेणी CAT	तैनाती / POSTED TO
1	886	KUNDAN KUMAR	SC	CHENNAI NORTH
2	887	BALA VENKATA HARI PRASAD	SC	CHENNAI OUTER
3	944	AMGOTH SNEHA	ST	CHENNAI SOUTH

2. अभ्यर्थियों को माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चेन्नई संवर्ग नियंत्रण अंचल के जिस आयुक्त कार्यालय में रिपोर्ट करना है, उस आयुक्त कार्यालय का पता संदर्भ हेतु संलग्न है ।
The address of the Commissionerates of the GST & Central Excise, Chennai Cadre Control Zone where the candidates have to report is enclosed for reference.

3. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णत: अस्थायी आधार पर है तथा आगे के आदेश तक है ।
The above appointment will be purely on a temporary basis and until further orders.

4. यह नियुक्ति प्रस्ताव निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन हैं ।
This appointment order is subject to following conditions.

5. केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के अनुसार उनकी सेवाएँ, किसी एक की ओर से एक महीने की नोटिस पर, बिना कोई कारण बताएँ, समापनीय होंगी । तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार है कि उन्हें नोटिस की अवधि के लिए अथवा उस अवधि के असमाप्त हिस्से के लिए वेतन और भत्ते के बराबर की राशि का भुगतान करके उनकी सेवाओं को वह तत्काल अथवा नोटिस की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले समाप्त करें ।
Their services will be terminable on one month's notice from either side in accordance with the Central Civil Service (Temporary Service) Rules, 1965, without assigning any reasons. The Appointing Authority, however, reserves the right of terminating their services forthwith or before the expiration of the stipulated period of notice by making payment to them of a sum equivalent to the pay and allowances for the period of notice or the unexpired portion thereof.

6. वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे । सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है । परिवीक्षा-काल को संतोषजनक रूप से पूरा करने पर, उपरोक्त पद में उनके स्थायीकरण पर विचार किया जाएगा ।

They will be on probation for two years from the date of appointment, the period of which may be extended at the discretion of the Competent Authority. On completion of the probation period satisfactorily, they will be considered for confirmation in the said post.

7. आधिकारिक रूप से आयोजित न किए जाने वाले या अनुशासनहीन माने जाने वाले किसी प्रकार के कार्यकलापों में उन्हें भाग नहीं लेना चाहिए ।
The candidates shall not indulge in activities not officially organized or in any manner considered as indiscipline.

8. माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आशुलिपिक ग्रेड - I एवं ग्रेड - II में अभियार्थियों की वरिष्ठता लागू आदेशों के अनुसार तय की जाएगी ।
The seniority of the candidates in the grade of Stenographer Grade I & II of GST & Central Excise will be fixed as per the orders in force.

9. छुट्टी, यात्रा भत्ते तथा सेवा-शर्तों से संबंधित सभी अन्य मामलों के संबंध में, वे लोक-सेवा की जिस शाखा के हैं, उसके लिए अनुप्रयोज्य तथा समय-समय पर लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा नियंत्रित रहेंगे ।
With regard to Leave, Travelling Allowances and all other matters connected with service conditions, they will be governed by the rules and orders in force from time to time and applicable to the branch of public service to which they may belong.

10. उन्हें माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान मुख्य आयुक्त, चेन्नई के संवर्ग नियंत्रण अधिकार - क्षेत्र के अंदर कहीं भी तैनात और स्थानांतरित किया जा सकता है ।
They will be liable to be posted and transferred anywhere within the Cadre Control jurisdiction of the Principal Chief Commissioner of GST & Central Excise, Chennai.

11. यदि वे स्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं या तीन वर्ष की अस्थायी सेवा पूरी नहीं की हैं, तो वे उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ते के हकदार नहीं होंगे ।
They will not be entitled to Travelling Allowance for joining the post unless they are permanent Government servants or have completed three years of temporary service.

12. सरकारी कर्मचारियों तथा अन्यों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा / अथवा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर केन्द्र सरकार के पदों में नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा राज्य सरकार के स्थायी / अनंतिमता से स्थायी कर्मचारी इन नियमों के अनुसार कार्यग्रहण अवधि के हकदार होंगे । लेकिन 3 वर्षों की नियमित सेवा पूरी न करने वाले केन्द्र सरकार के अस्थायी कर्मचारी, कार्यग्रहण अवधि के लिए तो हकदार हैं, पर कार्यग्रहण अवधि वेतन के लिए हकदार नहीं हैं ।
For appointment to posts under the Central Government on the results of a competitive examination/ or interview open to Government servants and others, Central Government employees and permanent / provisionally permanent State Government employees will be entitled to joining time under these rules. But temporary employees of the Central Government who have not completed 3 years of regular continuous service entitled to joining time would not be entitled to joining time pay.

13. कार्यग्रहण करने पर उन्हें भारत के संविधान के प्रति निष्ठा-शपथ लेनी होगी या इस आशय का सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करना होगा ।
On joining the post, they will be required to take an Oath of Allegiance to the Constitution of India or have to make a solemn affirmation to that effect.

14. अगर वे पहले से नौकरी में हैं तो उन्हें पूर्व नियोक्ता द्वारा दिए गए कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा ।
If they are already employed, they should produce a relieving order from the previous employer.

15. अगर वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के होने का दावा करते हैं, तो निर्धारित प्रपत्र में (यथानिर्धारित गृह मंत्रालय के दिनांक 28.01.1952 के का.ज्ञा.सं. 42/21/49-एन.जी.एस. में यथासंशोधित / कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.07.1997 का का.ज्ञा. सं. 36033/28/94 में यथाप्रयोज्य), उसमें उल्लिखित किसी न्यायिक / राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्हें नोट करना होगा कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है तथा उचित माध्यम द्वारा जाति / जनजाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्यधीन है। अगर अनुसूचति जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग के होने अथवा नवोन्नत वर्ग के न होने का दावा गलत पाया जाता है तो उनकी सेवाएं, किसी कारण दिए बिना तथा गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत आगे की जाने वाली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी। नियुक्ति के बाद, उनके धर्म का अगर परिवर्तन होता है तो, उसकी सूचना संबंधित नियुक्ति / प्रशासनिक प्राधिकारी को तत्काल देनी होगी।
If they claim to belong to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other backward Classes, they have to produce a certificate issued in the prescribed format (as prescribed in M.H.A O.M. No 42/21/49-N.G.S, dated 28.01.1952 as amended / DOPT O.M .No. 36033/28/94-Estt(Res) dated 02.07.1997 as applicable) by any of the Judicial / Revenue Authorities mentioned therein. They should note that their appointment will be provisional and is subject to verification of the Caste / Tribe certificate through proper channels and that if the claim to belong to SC/ST/OBC or not to belong to creamy layer is found to be false, their services will be terminated forthwith without assigning any reason and without prejudice to such further action that may be taken under the Indian Penal Code for production of false certificate. They should also intimate the change, if any, of their religion, after appointment, immediately to the Appointing / Administrative Authorities concerned.

16. भारत सरकार के अधीन सेवाओं में भर्ती के लिए चालू सुसंगत नियमों के अनुसरण में,
In accordance with the relevant rules in force in regard to the recruitment to services under the Government of India,

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है या जो, एक पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह कर लेता है, हालांकि पत्नी के जीवन-काल में घटित होने के कारण वह विवाह अमान्य हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति के संबंध में उपर्युक्त नियम के लागू होने से छूट दे सकती हैं, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं।

(a) No person who has more than one wife living or who, having a spouse living, contracts to a second marriage, though such marriage is void by reason of its taking place during the life-time of such spouse, shall be eligible for appointment to service, provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

(ख) कोई ऐसी स्त्री, जिसकी शादी उसके पति के जीवन-काल में घटित होने के कारण से अमान्य हो या जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पत्नी उक्त विवाह के समय जीवित हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होगी बशर्ते कि भारत सरकार ने संतुष्ट होकर कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं, उसे छूट दी हो।

(b) No such woman whose marriage is void by reason of its taking place during the life-time of her spouse or who have married to such a person whose wife is living at the time of marriage shall be eligible for appointment in service unless the Government of India has granted exemption to such a woman in accordance with this rule after being satisfied that there are special grounds for so ordering.

17. अतः यह नियुक्ति प्रस्ताव सशर्त है कि उम्मीदवार उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करें तथा अपने उत्तर के साथ, इस पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में घोषणा दें। अगर वे उपर्युक्त शर्त को पूरा नहीं करते तथा किसी कारणवश उपर्युक्त नियमों से छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें तत्काल इस आशय का अभ्यावेदन देना चाहिए। ऐसे मामले में यह नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त माना जाएं तथा उनके अभ्यावेदन पर विचार करने पर यदि यह निर्णय किया जाता है कि उन्हें आशुलिपिक ग्रेड – I एवं II पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जाएं तो आगे की सूचना प्रेषित की जाएगी।
This offer of appointment is, therefore, conditional upon their satisfying the requirement mentioned and furnishing declaration in the form enclosed to this letter, along with their reply. If, however, they do not fulfil the above condition and they desire to be exempted from the above mentioned rules for any reason, they should make a representation in this behalf immediately. This offer of appointment should, in that case, be treated as cancelled and a further communication will be sent to them in due course, if upon

consideration of their representation, it is decided to offer them appointment to the post of Stenographer Grade I & II.

18. यदि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई घोषणा या सूचना गलत पाई जाती है अथवा यदि पाया जाता है कि उम्मीदवार ने विवाह संबंधी किसी सूचना को जानबूझकर दबा लिया है तो वह अपनी सरकारी सेवा से बरखास्तगी तथा सरकार द्वारा आवश्यक माने जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई का भाजन होगा ।
If any declaration given or information furnished by them is proved to be false or if they are found to have wilfully suppressed any marital information, they will be liable for removal from service and other action as Government may deem necessary.

19. यह नियुक्ति प्रस्ताव पूर्णतः अस्थायी है तथा संबंधित जिला / पुलिस अधिकारियों से पूर्ववृत सत्यापन रिपोर्ट / संबंधित निर्गामी प्राधिकारियों से जाति प्रमाण पत्र / विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया शैक्षणिक प्रमाण पत्र के सत्यापन इत्यादि की प्राप्ति पर निर्भर है । यदि संबंधित अधिकारियों से कोई प्रतिकूल / नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होती है तो, कर्मचारियों की सेवाएं कोई कारण या नेटिस दिए बिना तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी ।
This offer of appointment is purely temporary and is subject to receipt of the antecedent verification report from the concerned District/ Police Authorities / Caste certificate from the concerned issuing authority / verification of certificate of education issued by the University. In case any adverse / negative report is received from the concerned Authorities, the services will be terminated immediately without assigning any reason or notice.

20. उम्मीदवार को निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति सहित उनकी एक प्रति के साथ नामांकित आयुक्तालय में दिनांक 15.11.2021 को या उससे पहले रिपोर्ट करनी होगी ।
They shall report for duty at the Office of the nominated Commissionerates **on or before <u>15.11.2021</u>** with a copy of the following documents along with original documents:

(क) शैक्षणिक योग्यताओं की अनुप्रमाणित प्रति
a) Attested copies of Educational Qualifications;
(ख) आयु प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति
b) Attested copy of Certificate of Age;
(ग) संलग्न प्रपत्र में वैवाहिक स्थिति की घोषणा
c) Declaration of Marital Status in the form enclosed;
(घ) अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. के अभ्यार्थी के मामले में निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र
Caste Certificate in the case of SC/ST/OBC candidate in the prescribed format;
(ङ) वर्तमान नियोक्ता से कार्यमुक्ति आदेश (यदि लागू हो तो) ।
d) Relieving order from the present employer (if applicable).

ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वयमेव रद्द हो जाएगा ।
Failing which this offer of appointment will stand automatically cancelled.

21. उक्त अभ्यर्थियों के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I - खंड 1 दिनांक 22.12.2003 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मात्रालय की अधिसूचना सं 5/7/2003-ईईसीबी व पीआर दिनांक 22.12.2003 के तहत अधिसूचित नई पेंशन योजना लागू होगी । सी.सी.एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 26 (2) के तहत तकनीकी इस्तीफा देकर उपरोक्त पद में पुनर्नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने वाले स्थायी सरकारी कर्मचारी के लिए यह लागू नहीं होगी।
The candidates will be governed by the New Pension Scheme as notified vide Government of India, Ministry of Finance, Notification no. 5/7/2003-EECB & PR dated 22.12.2003 - published in Gazette of India, Extraordinary, Part I - Section 1, dated 22.12.2003. This will not apply to a permanent Government servant who joins the post on tendering Technical resignation under Rule 26(2) of CCS (Pension) Rules, 1972 on reappointment to the post.

22. क्रम सं. 7, 8, 12, 13 और 14 में उल्लिखित अभ्यार्थियों को प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के कारण अवशेष अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनंतिम रूप से नियतित किया गया है। उनकी नियुक्ति विशुद्ध रूप से अनंतिम/अस्थायी आधार पर होगी और अल्प सूचना पर समाप्त की जा सकती है। उनकी नियुक्ति इस मुद्दे पर डी. ओ. पी. टी (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी।

The candidates mentioned at Sl. No **7, 8, 12, 13, & 14** have been allocated provisionally against the left over un-reserved vacancies, due to administrative exigencies. Their appointment will be purely on provisional/temporary basis and liable to be terminated on short notice. Their appointment will be subject to the final decision of the DOPT (Department of Personnel and Training) on the issue.

23. यह आदेश प्रधान मुख्य आयुक्त, वस्तु और सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी, तमिल नाडु एवं पुदुच्चेरी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

This order is issued with the approval of the Chief Commissioner of GST & Central Excise, Cadre Control Authority, Tamil Nadu and Puducherry.

संलग्न / Encl : यथोक्त / As above.

(टी. जी. वेंकटेश / **T G VENKATESH)**
अपर आयुक्त / **ADDITIONAL COMMISSIONER**

सेवा में / To,
संबंधित व्यक्तियों को / The Individuals

<u>प्रतिलिपि प्रस्तुत / **Copy submitted to:**</u>

1. अवर सचिव, ए.डी.III(बी), सी.बी.ई.सी., वित्त मंत्रालय, निचला तल, हुडको विशाला भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066
   The Under Secretary, Ad.III(B), CBEC, Ministry of Finance, Ground Floor, Hudco Vishala Building, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110 066.

Copy to:-

2. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, तिरुच्चि सी.सी. (पी.)
   The Chief Commissioner of Customs, Trichy CC(P)
3. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,
   The Principal Commissioner/Commissioner of GST & Central Excise,
   चेन्नई उत्तर / चेन्नई दक्षिण / चेन्नई आउटर / चेन्नई लेखा परीक्षा - I / लेखा परीक्षा - II / चेन्नई अपील्स - I / पुदुच्चेरी / कोयंबत्तूर माल और सेवा कर / कोयंबत्तूर लेखा परीक्षा / सेलम / तिरुच्चि
   Chennai North/Chennai South/Chennai Outer/Chennai Audit-I/Audit-II /Chennai Appeals –I/Puducherry/Coimbatore GST/Coimbatore Audit/Salem/Trichy.
4. The Chief Accounts Officer - Pr.CCO, Chennai
   - *An undertaking may be obtained from the candidates that they should produce the degree certificate within 6 months, for those who had only produced the provisional certificate)*
   - *The performance of freshly recruited officers who are on probation period need to be monitored in terms of Board's letter F.No. A-32018/13/2019-Ad.III.A dated 09.10.2020 and DOPT's O.M No. 28020/3/2018-Estt.(C) dated 11.03.2019)*
5. अधीक्षक (कंप्युटर अनुभाग), चेन्नई उत्तर - आधिकारिक वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु ।
   The Superintendent (Computer Section), Chennai North – **for displaying on official website.**

सेवा की सामान्य शर्तों को दर्शाने वाला संलग्नक
ANNEXURE SHOWING THE GENERAL CONDITIONS OF SERVICE

1. आशुलिपिक ग्रेड I और II के पद पर नियुक्ति अगले आदेश तक अस्थायी है।
The appointment to the post of Stenographer Grade I & II is temporary until further orders.

2. कार्यग्रहण करने हेतु रिपोर्टिंग करने के लिए उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
No travelling allowance will be admissible to the candidates for reporting for duty.

3. अभ्यार्थी को सूचित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण करने के लिए संबंधित कार्यालय प्रमुख के समक्ष उसके रिपोर्ट करने की तिथि को इस विभाग में उसके कार्यभार ग्रहण की तिथि मानी जाएगी ।
The candidate is informed that he/she will be considered to have joined this Department from the date on which he/she reports for duty before the Head of Office concerned.

4. कार्यभार ग्रहण करने के लिए रिपोर्ट करते समय अभ्यार्थी को अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु, समुदाय (यदि अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग हो) और अन्य योग्यता, यदि कोई हो तो, के प्रमाण में अपने मूल प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
The candidate must produce his/her original certificates in proof of his/her academic qualifications, age, community (if SC/ST/OBC) and other qualifications, if any, at the time of reporting for duty.

5. अभ्यर्थी को यह उल्लेख करना होगा कि वह भारत के नागरिक हैं और यदि नहीं हैं तो क्या वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने (अ) प्रवसन की तिथि पर भारत में स्थायी रूप से बसने के उद्देश्य से पाकिस्तान से प्रवसन किया, (आ) नेपाल या सिक्किम या तिब्बत के नागरिक हैं।
The candidate should state whether he/she is a citizen of India and if not, whether he/she is a person who has migrated from (a) Pakistan with the intention of permanently settling in India on the date of migration (b) a subject of Nepal or Sikkim or Tibet.

6. अभ्यार्थी को भारत सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के तहत पिछले 3 वर्षों के दौरान अपने पिछले रोजगार, यदि कोई हो, की पूरी जानकारी देते हुए एक लिखित बयान देना होगा ।
The candidate must give a statement in writing giving full information of his previous employment, if any, during the last 3 years under the Government of India or under any other State Government.

7. केन्द्र सरकार के छंटे हुए कर्मचारियों या, ऐसा माने जाने वाले कर्मचारियों को इस विभाग में वरिष्ठता के उद्देश्य से अपनी पिछली सेवा की गणना करने की अनुमति नहीं है ।
Retrenched Central Government servants or, those who are treated as such, are not allowed to count their past service for the purpose of seniority in this Department.

8. यदि कोई अभ्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का दावा करता है, तो उसे विशेष रूप से यह उल्लेख करना होगा कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, या संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 के तहत उल्लिखित जातियों/समुदायों या जनजातियों में से वह किस जाति/ समुदाय या जनजाति के हैं । अभ्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र (नमूना संलग्न) में समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
If a candidate claims to be a member of the SC/ST, he/she should state specifically to which of the castes/communities or tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) order 1950, or under the Constitution (Scheduled Tribes) order 1950, he/she belongs. The candidate should produce a community certificate in the prescribed form (Specimen enclosed).

9. यदि कोई अभ्यार्थी "अन्य पिछड़ा वर्ग" का सदस्य होने का दावा करता है, तो उसे विशेष रूप से यह उल्लेख करना होगा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों की सूची में उल्लिखित पिछड़े वर्गों / समुदायों, जो मंडल आयोग की रिपोर्ट तथा भारत सरकार, समाज कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10.09.93 के संकल्प सं. 12011/68/93-बीसीसी के तहत प्रकाशित राज्य सूचियां दोनों के लिए उभयनिष्ठ हैं, में थे वह कौन से पिछले वर्ग / समुदाय के है । अभ्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र में एक समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (नमूना संलग्न)।
If a candidate claims to be a member of "Other Backward Classes", he/she should state specifically to which of the Backward Classes/Communities, mentioned in the

list of socially and economically Backward communities, which are common to both the reports of the Mandal Commission and the State lists published by Government of India, Ministry of Social Welfare vide Resolution No.12011/68/93-BCC © dated 10.09.93. The candidate should produce a community certificate in the prescribed form (specimen enclosed).

10. अभ्यर्थी को चेतावनी दी जाती है कि अनुप्रमाणित प्रपत्र में गलत जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी का दमन करना निरर्हता होगी और यह संभावना है कि अभ्यर्थी को सरकार के तहत नौकरी के लिए अयोग्य बना दिया जाए। यदि सेवा के किसी भी समय के दौरान यह ध्यान में आता है कि गलत जानकारी प्रदान की गई है या अनुप्रमाणन प्रपत्र में किसी तथ्यात्मक जानकारी का दमन किया गया है तो उसकी सेवाओं को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।
The candidate is warned that the furnishing of false information or suppression of any factual information in the Attestation Form would be a disqualification and is likely to render the candidate unfit for the employment under the Government. If the fact that false information has been furnished or there has been suppression of any factual information in the Attestation Form comes to notice at any time during the service of the person, his/her services should be liable to be terminated forthwith.

11. अभ्यर्थी यह भी नोट करें कि उनको इस विभाग में प्रचलित नियमों, अनुशासन एवं आचरण तथा सरकार द्वारा अपने सभी कर्मचारियों पर समय - समय पर लागू किए जाने वाले नियमों, अनुशासन, आचरण के अनुरूप चलना होगा।
The candidate should also note that he/she has to conform to the rules, discipline and conduct prevailing in this Department and those imposed by Government on all their employees from time to time.

12. अन्य सरकारी कार्यालयों में या कहीं अन्यत्र नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के आवेदन को अग्रेषित करने या रोक कर रखने के लिए विभाग प्रधान को स्वेच्छा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है।
The Head of the Department has full discretion to forward or withhold any of his/her applications for appointment in other Government offices or elsewhere.

13. अभ्यर्थी को पद ग्रहण करने से पहले निर्धारित प्रपत्र में भारतीय संघ के प्रति निष्ठा - शपथ लेनी होगी।
The candidate should prior to assuming office, take an Oath of allegiance to the Indian Union in the prescribed form.

14. अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि उन्हें चेन्नई माल और सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, संवर्ग नियंत्रण क्षेत्र, चेन्नई के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है।
The candidate should note that he/she is liable to be transferred anywhere within the jurisdiction of the Chennai GST& Central Excise, Cadre Control Zone, Chennai.

15. आशुलिपिक ग्रेड - I एवं II की ग्रेड में नियुक्त अभ्यर्थी को पदभार ग्रहण करने से पूर्व नीचे दिए गए फॉर्म में एक वचनबंध पर हस्ताक्षर करना होगा :
Candidates appointed to the grade of Stenographer Grade I & II before joining duty, will have to sign a undertaking in the form given below:

"मैं समझता / समझती हूं और वचन देता / देती हूं कि भारत सरकार के अधीन मेरा नियोजन अस्थायी है और मेरी सेवा, किसी भी समय बिना कारण बताए, एक महीने से कम न पड़ने वाली अवधि के लिए सूचना देकर समाप्त की जा सकती है अथवा मेरी सेवा सूचना अवधि अथवा यथास्थिति उस अवधि के लिए जिससे उपरोक्त सूचना एक महीने से कम पड़ती हो, के लिए वेतन और भत्ते की राशि की समतुल्य राशि के दावे का मुझे हक देते हुए तत्काल समाप्त की जा सकती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि मैं अपने वर्तमान नियोजन से त्याग पत्र देना चाहता / चाहती हूं, तो मेरे त्याग पत्र देने के इरादे से दो महीने से कम न पड़ने वाली अवधि के लिए लिखित में नोटिस दूंगा / दूंगी। मैं आगे सहमत हूं कि अगर मैं अपने कर्तव्य का पालन करने से इनकार करता / करती हूं या अपने कार्यालयीन कर्तव्यों से विनिवर्तित रहूं तो उपरोक्त प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना नियुक्ति प्राधिकारी को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 धारा 23 के तहत मेरे खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अधिकार है।"
"I understand that my employment under the Government of India is temporary and that my service may be terminated at any time by a notice for a period of not less than one month but without any reason being assigned or my service can be terminated

forthwith giving me an entitlement to claim a sum equivalent to the amount of pay and allowances for the period of the notice or as the case may be for the period by which such notice falls short of one month. I agree that if I wish to resign from my present Employment I shall give notice in writing for a period of not less than 2 months of my intention to resign. I further agree that without prejudice to the above provisions the appointing authority has the right to take appropriate action against me under Section 23 of the Central Excise Act, 1944, in the event of my refusal to perform or withdraw myself from the duties of my office".

16. परिवीक्षा की अवधि 2 वर्षों की होगी । उक्त अवधि के दौरान अभ्यर्थी के कार्य एवं आचरण संतोषजनक नहीं पाए जाते तो परिवीक्षा की अवधि बढ़ा दी जाएगी ।
The period of probation will be 2 years. The period of probation will be extended if his/her work and conduct are not found to be satisfactory during the said period.

17. इस विभाग में नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय लिखित रूप में अपना मूल निवास स्थान अर्थात गृह नगर की घोषणा करनी होगी ।
Candidates appointed in this Department should declare his/her native place i.e., Home Town in writing at the time of joining duty.

18. इस विभाग में नियुक्त अभ्यार्थी को निर्धारित प्रपत्र में लिखित रूप में एक घोषणा देनी होगी कि क्या वह अविवाहित / विवाहित है; यदि विवाहित है तो क्या उसकी केवल एक ही पत्नी / पति जीवित है आदि ।
Candidates appointed in this department should give in writing a declaration whether he/she is un-married/married; if married whether he/she has only one wife/husband living etc., in the prescribed form.

19. यदि अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित अभ्यर्थी अपना धार्मिक विश्वास बदलते हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी को इसकी सूचना देनी होगी ।
Candidates belonging to SC community should inform the appointing authority, if and when they change their religious faith.

20. दिनांक 22.12.2003 को प्रकाशित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I – अनुच्छेद 1 में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, अधिसूचना संख्या 5/7/2003-ई.सी.बी और पी.आर. दिनांक 22.12.2003 के तहत अधिसूचित अनुसार अभ्यर्थी नई पेंशन योजना के दायरे में आएंगे । यह उस स्थायी सरकारी सेवक पर लागू नहीं होगा जिन्होंनें सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 26(2) के तहत तकनीकी इस्तीफा देने पर उपरोक्त पद में पुनर्नियुक्त होकर पद ग्रहण किया है।
The candidate will be governed by the New Pension System as notified vide Government of India, Ministry of Finance, Notification No.5/7/2003-ECB & PR dated 22.12.2003 – published in Gazette of India, Extraordinary, Part I – Section 1, dated 22.12.2003. This will not apply to a permanent Government servant who joins the post on tendering Technical resignation under Rule 26(2) of CCS (Pension) Rules, 1972 on reappointment to the post.

प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय / ***Pr.CCO***

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय,
Office of the Principal Chief Commissioner of GST & Central Excise,
26/1, महात्मा गांधी रोड
26/1, Mahatma Gandhi Road,
नुंगम्बाक्कम / Nungambakkam,
चेन्नई / Chennai - 600 034.
दूरभाष / Ph: 044-2833 5053

चेन्नई उत्तर / ***Chennai North***

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान आयुक्त कार्यालय
Office of the Prinicpal Commissioner of GST & Central Excise,
26/1, महात्मा गांधी रोड
26/1, Mahatma Gandhi Road,
नुंगम्बाक्कम / Nungambakam,
चेन्नई / Chennai - 600 034.
दूरभाष / Ph: 044-28335055

चेन्नई दक्षिण / ***Chennai South***

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय
Office of the Commissioner of GST & Central Excise,
692, एम.एच.यू. कांप्लेक्स : अण्णा सालै, नंदनम
692, MHU Complex: Anna Salai, Nandanam
चेन्नई /Chennai - 600 035.
दूरभाष / Ph: 044-24337705, 24338643

चेन्नई आउटर / ***Chennai Outer***

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय
Office of the Commissioner of GST & Central Excise,
न्यूरी टॉवर्स, सं. 2054 - 1, II एवेन्यू, अण्णा नगर,
Newry Towers, No.2054-1, II Avenue, Anna Nagar,
चेन्नई / Chennai - 600 040
दूरभाष / Ph: 044-2614 2817

चेन्नई लेखा परीक्षा / ***Chennai Audit I***

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय
Office of the Commissioner of GST & Central Excise,
1775, जवाहरलाल नेहरू, इनर रिंग रोड,
1775, Jawaharlal Nehru, Inner Ring Road,
अण्णा नगर वेस्टर्न एक्स्टेन्शन,
Anna Nagar Western Extension,
चेन्नई /Chennai – 600 101.
दूरभाष / Ph : 044-2615 9263

चेन्नई लेखा परीक्षा / ***Chennai Audit II***

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय
Office of the Commissioner of GST & Central Excise,
692, एम.एच.यू. कंप्लेक्स : अण्णा सालै, नंदनम
692, MHU Complex: Anna Salai, Nandanam
चेन्नई /Chennai - 600 035.
दूरभाष / PH : 044 2432 3900

चेन्नई अपील्स / ***Chennai Appeals I***

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय
Office of the Commissioner of GST & Central Excise,
26/1, महात्मा गांधी रोड, नुंगम्बाक्कम
26/1 Mahatma Gandhi Road, Nungambakkam,

चेन्नई / Chennai - 600 034.
दूरभाष / Ph: 044-28331150

चेन्नई अपील्स / *Chennai Appeals II*

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय
Office of the Commissioner of GST & Central Excise,
द्वितीय तल, प्लॉट सं. 2054, I ब्लॉक
2nd Floor, Plot No.2054, I Block,
II एवेन्यू, अण्णा नगर / II Avenue, Anna Nagar,
चेन्नई / Chennai - 600 040.
दूरभाष / Ph: 044-26142871

पुदुच्चेरी / *Puducherry*

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय
Office of the Commissioner of GST & Central Excise,
1, गोबर्ट एवेन्यू (बीच रोड)
1, Goubert Avenue (Beach Road),
पुदुच्चेरी / Puducherry-605 001
दूरभाष / Ph: 0413-2336995, 2331243

कोयंबत्तूर / *Coimbatore*

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय
Office of the Commissioner of GST & Central Excise,
6/7, ए.टी.डी. स्ट्रीट, रेस कोर्स रोड,
6/7, A.T.D Street, Race Course Road,
कोयंबत्तूर / Coimbatore - 641 018
दूरभाष / Ph: 0422-2225527.

कोयंबत्तूर लेखा परीक्षा / *Coimbatore Audit*

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय
Office of the Commissioner of GST & Central Excise,
6/7, ए.टी.डी. स्ट्रीट, रेस कोर्स रोड,
6/7, A.T.D Street, Race Course Road,
कोयंबत्तूर / Coimbatore - 641 018
दूरभाष / Ph: 0422-2221433.

कोयंबत्तूर अपील्स / *Coimbatore Appeals*

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय
Office of the Commissioner of GST & Central Excise,
6/7, ए.टी.डी. स्ट्रीट, रेस कोर्स रोड,
6/7, A.T.D Street, Race Course Road,
कोयंबत्तूर / Coimbatore - 641 018
दूरभाष / Ph: 0422-2225629.

मदुरै / *Madurai*

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय
Office of the Commissioner of GST & Central Excise,
केन्द्रीय राजस्व भवन, बीबीकुलम,
Central Revenue Buildings, Bibikulam,
मदुरै / Madurai - 625002
दूरभाष / Ph: 0452-2644136, 2530792

सेलम / *Salem*
माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय
Office of the Commissioner of GST & Central Excise,
सं. 1, No.1, फ़ोल्कस कम्पाउण्ड, आनैमेडु
Foulkes Compound, Anaimedu,
सेलम / Salem - 636 001
दूरभाष / Ph: 0427-2296485, 2295148

तिरुच्चि / *Trichy*
माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय
Office of the Commissioner of GST & Central Excise,
सं. 1, विल्लियम्स रोड, कन्टॉनमेंट,
No.1 Williams Road, Cantonment,
तिरुच्चि / Trichy - 620 001
दूरभाष / Ph: 0431-2411056

तिरुच्चि / *Trichy CC (Preventive)*
Office of the Chief Commissioner of Customs,
सं. 1, विल्लियम्स रोड, कन्टॉनमेंट,
No.1 Williams Road, Cantonment,
तिरुच्चि / Trichy - 620 001
दूरभाष / Ph: 0431-2417466

DECLARATION TO BE OBTAINED FROM NEW ENTRANTS REGARDING THEIR MARITAL STATUS TO GOVERNMENT SERVICE

1. I, Shri/Shrimati/Kumari ....declare as under :-

    * (i) That I am unmarried/a widower/a widow;

    * (ii) That I am married and have only one spouse living;

    * (iii) That I have entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living. Application for grant of exemption is enclosed.

    * (iv) That I have entered into and contracted a marriage with another person during the life-time of my spouse. Application for grant of exemption is enclosed.

2. I solemnly affirm that the above declaration is true and I understand that in the event of the declaration being found to be incorrect after my appointment, I shall be liable to be dismissed from service.

Date............

Signature........................

(*Note : Please delete clause/clauses not applicable)

APPLICATION FOR GRANT OF EXEMPTION
(Vide para 1 (iii)/1(iv) of Declaration)

To

The ------------------------

Sir,

I request that in view of the reasons stated below, I may be granted exemption from the operation of restriction on the recruitment to service of one having more than one wife living/ a woman who is married to a person already having one wife or more living.

Reasons

Yours faithfully,

Dated..................

Signature.............